

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

1. भोलू पुत्र श्री हजारी, जाति जाट निवासी गुन्दली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0
प्रार्थीगण

बनाम

1. केसर देवी पत्नि स्व0 श्री रतना जाति जाट निवासिन गुन्दली तहसील अंराई जिला अजमेर
राज0 वगै0 अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा - 212 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 24 / 2019

ऑन लाईन नंबर 2019 / 00024

वकील प्रार्थीगण श्री इन्द्रेश कुमार

वकील अप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.02.2019	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक <u>22.04.2019</u> को पेश हो।</p>	
<u>22-4-19</u>	<p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील इन्द्रेश कुमार उपरोक्त अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तलबी इत्यादि तापिले प्राप्त नहीं हुआ है सो 3 को जारी कर वकील अप्रार्थीगण को पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली जारी करा जायेगा।</p>	

२०२५

पत्रावली पेश हुई। वकील फत्ताराम अनु०।
न्यायालय समय में ~~सक~~-२ कट भ्रष्टाचार लगायी
गयी किन्तु ना तो ^{सक} वाली उपस्थित ना ही उनके
वकील उपस्थित हुए। अतः पत्रावली अदम दायी
स्वम् अदम पैरवी में खारज की गयी है। पत्रावली
फैसल शुमार हीरु नम्बर है कम है। WD